न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी :श्री विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 71/2023

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थी**
रणजीत पुत्र भीमाराम जाति सरगरा निवासी भवराणी तहसील आहोर जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी,प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. राज.पैरोकार विप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक– 28.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारीयों द्वारा माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया था। जो वाद दर्ज रजिस्टर किया गया,जो बाद सुनवाई प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारीयों का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 556 रकबा 76 बीधा भूमि का खातेदार धोषित किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशंय की जारी की गई की प्रतिवादी वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की [illegible] प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिए गए की [illegible] भूमि का नाप कर राजस्व रेकर्ड में सही स्थिति दर्ज करें। उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में जरियें नामान्तकरण संख्या 2900 प्रविष्टिया अंकित की जाकर रेकर्ड दुरूस्त कर रकबा 7–15 बीधा के स्थान पर 76 बीधा भूमि दर्ज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्व विप्रार्थी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी(बाड़मेर जैसलमेर) जोधपुर केम्प बाड़मेर के सक्षम अपील पेश की गई,जो बाद सुनवाई अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2009 को अपास्त किया गया और उक्त निर्णय की पालना में पूर्व पारित नामान्तकरण संख्या 2900 को निरस्त कर पुनःपूर्व स्थिति नामान्तकरण संख्या 3426 के जरिये इन्द्राज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्व प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील पेश की गई। जो बाद सुनवाई प्रार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 09.11.2011 को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 की पुष्टि की गई। प्रार्थी की ओर से तहसीलदार पचपदरा को लिखित आवेदन पेश किया कि विवादित भूमि को प्रार्थी द्वारा खरीद की गई है,और माननीय न्यायालय आर.ए.ए. के निर्णय पर नामान्तकरण संख्या 2900 को निरस्त कर दिया गया। जबकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 18.4.2017 को आर.ए.ए. के निर्णय को अपास्त कर दिया गया है,जो रेकर्ड में पूर्व की स्थिति नामान्तकरण संख्या 2900 की प्रविष्टियों बहाल की जावें। लेकिन इसके उपरांत भी तहसीलदार पचपदरा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर माननीय न्यायालय में हस्तगत आवेदन पत्र पेश किया। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 556 की खतौनी में नामान्तकरण संख्या 2900 के जरिये दर्ज प्रविष्टियों को पुनः स्थापित कर खसरा संख्या 556 का रकबा माफिक निर्णय व डिक्री अनुसार रकबा 76 बीधा दर्ज करवानें हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। वि[illegible] तलब किया गया। विप्रार्थी का नोटिस तामीलशुदा प्राप्त [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:55 IST
Reason: SelfAttested

3. हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में तर्क दिए कि प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारीयों द्वारा माननीय न्यायालय में एक राजस्व वाद

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। जो राजस्व वाद मुकदमा संख्या एस.पी.–01/2009 पर दर्ज रजिस्टर हुआ। जो बाद सुनवाई प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारीयों का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 556 रकबा 76 बीधा भूमि का खातेदार धोषित किया जाकर प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेघाज्ञा इस आशंय की जारी की गई की प्रतिवादी वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिए गए की वो नक्शें के अनुसार विवादित भूमि का नाप कर राजस्व रेकर्ड में सही स्थिति दर्ज करें। उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण संख्या 2900 के जरियें प्रविष्टिया अंकित की जाकर रेकर्ड दुरूस्त कर रकबा 7–15 बीधा के स्थान पर 76 बीधा दर्ज किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्व विप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर जैसलमेर) जोधपुर केम्प बाड़मेर के सक्षम प्रथम अपील पेश की गई,जो बाद सुनवाई अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2009 को अपास्त किया और उक्त निर्णय की पालना में पूर्व पारित नामान्तकरण संख्या 2900 को निरस्त कर पुनःपूर्व स्थिति नामान्तकरण संख्या 3426 के जरिये रेकर्ड में इन्द्राज की गई। उक्त निर्णय के विरूद्व प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितिय अपील [illegible] की गई। जो बाद सुनवाई प्रार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर जैसलमेर) जोधपुर केम्प बाड़मेर निर्णय दिनांक 09.11.2011 को निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 की पुष्टि की गई। प्रार्थी की [illegible] तहसीलदार पचपदरा को लिखित आवेदन पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि [illegible] खरीद की गई है,माननीय न्यायालय माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधि[illegible] एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर जैसलमेर) जोधपुर केम्प बाड़मेर के निर्णय दिनांक 09.11.2011 को निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

को यथावत रखतें हुए पुष्टि की गई है अर्थात निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 को बहाल किया है और उक्त निर्णयनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण संख्या 2900 की पूर्व स्थिति को बहाल की जावें। लेकिन विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रार्थी के आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। तब प्रार्थी को मजबूर होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका एस.बी.सिविल पीटीशन संख्या 17245/2018 प्रस्तुत की गई,रिट याचिका बाद सुनवाई दिनांक 18.2.2019 को निर्णय पारित किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश करे और साथ ही तीन माह के भीतर प्रकरण को निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किए है। अपनी बहस को जारी रखतें हुए प्रार्थी वकील ने आगे ओर तर्क दिए कि विप्रार्थी की ओर से ऐसा ठोस कारण नहीं बताया कि प्रार्थी का आवेदन क्यो नहीं स्वीकार किया जावें। उपरोक्त बहस के आधार पर प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 556 की खतौनी में नामान्तकरण संख्या 2900 के जरिये दर्ज प्रविष्टियों को पुनः स्थापित कर खसरा संख्या 556 का रकबा माफिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 अनुसार रकबा 76 बीघा भूमि दर्ज करने के आदेश फरमाई जावें।

4. इसके विपरीत राज.पैरोकार की बहस है कि ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 556 रकबा 7–15 बीधा भूमि गजरा पुत्री चूनी,भटाराम देवाराम पिसरान कानाराम कौम मेघवाल सा.देह खातेदार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। कि माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 की पालना में नामान्तकरण संख्या 2900 भरा गया,जिसमें खसरा संख्या 556 रकबा 7–15 बीधा के स्थान पर 76 बीधा दर्ज किया गया और खसरा संख्या 355 रकबा 866–[illegible] गैर मुमकिन पहाड़ खातेदार बिला कब्जा मुमकिन के स्थान पर रकबा 789–[illegible] बीघा दर्ज किया गया। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 के विरूद्व माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर जैसलमेर) जोधपुर केम्प बाड़मेर में प्रथम अपील पेश की गई और बाद

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:55 IST
Reason: SelfAttested

अपील विप्रार्थी की स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 को अपास्त किया गया। उक्त निर्णय की पालना में राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण संख्या 2900 से पूर्व की स्थिति बहाल की गई,जिसमें गजरों वगैरा की भूमि का रकबा 76 बीधा के स्थान पर रकबा 7–15 बीधा व खसरा संख्या 355 का रकबा 798–09 बीधा के स्थान पर रकबा 866–14 बीधा दर्ज किया गया,जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में आदिनांक यथावत चला आ रहा है। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि को जरियें पंजीकृत बेचानानामा दिनांक 08.3.2010 के द्वारा खरीद की गई। उक्त पंजीकृत बेचाननामा में तीन स्थान पर रकबा लिखा हुआ है और तीनो स्थान पर रकबा 76 बीधा लिखा हुआ है,जिसमें अंक 7 कम्प्यूटर की टाईपिग है तथा अंक 06 हाथ से लिखा हुआ है। अतः प्रार्थी का आवेदन सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज फरमाया जावें।

5. हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात व जवाब एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 18.02.2019 का गम्भीतापूर्वक अवलोकन किया तथा तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी के हकपूर्वाधिकारीयों गजरा पुत्री चूनाराम व भटाराम,देवाराम पिसरान कानाराम जाति मेधवाल निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में इस आशंय का प्रस्तुत किया कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 556 रकबा 76 बीधा का सरहद मौजा जसोल में आया हुआ है,जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त वक्त सेन्टलमेंट से चला आ रहा है। सेन्टलमेंट से पूर्व वादी संख्या 01 के पिता व वादी संख्या 2 व 3 के नाना उक्त भूमि पर काश्त करते थे,वक्त सेन्टलमेंट [illegible] को 76 बीधा भूमि पर कब्जा काश्त था,परन्तु रेकर्ड में मात्र 7–15 बीधा ही दर्ज की [illegible] जबकि राजस्व नक्शें में वादीगण का 76 बीधा भूमि पर कब्जा व काश्त कायम है। सेन्टलमेंट अधिकारीयों के द्वारा वादीगण की भूमि का रकबा गै.मु.पहाड़ मे दर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का खातेदार धोषित करने व स्थाई निषेघाज्ञा जारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

करवानें की इस्तदुआ चाही गई। जो वादीगण का वाद मुकदमा संख्या एस.पी.–01/2009 पर दर्ज रजिस्टर हुआ और बाद सुनवाई वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2009 के द्वारा ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 556 रकबा 76 बीधा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी के खिलाफ स्थाई निषेघाज्ञा इस अमर की जारी की गई कि प्रतिवादी वादीगण के कब्जा व काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करे। प्रतिवादी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा को निर्देश दिए गए कि वों नक्शें के अनुसार विवादित भूमि का नाप कर राजस्व रेकर्ड में सही स्थिति दर्ज करें। उक्त निर्णय की पालना में नामान्तकरण संख्या 2900 पारित हुआ,जिसमें खसरा संख्या खसरा संख्या 556 रकबा 7–15 बीधा के स्थान पर 76 बीधा दर्ज किया गया और खसरा संख्या 355 रकबा 866–14 बीधा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ खातेदार बिला कब्जा मुमकिन के स्थान पर रकबा 789–09 बीधा दर्ज किया गया। तत्पश्चात गजरा वगैरा द्वारा विवादित भूमि का बेचान जरियें पंजीकृत बेचाननामा के द्वारा प्रार्थी को दिनांक 08.3.2010 को कर दिया गया। लेकिन न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण प्रार्थी के नाम नामान्तकरण भरा नहीं गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.10.2009 से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी/विप्रार्थी तहसीलदार पचपदरा द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर जैसलमेर) जोधपुर केम्प बाड़मेर के सक्षम प्रथम अपील पेश की गई,जो अपील संख्या [illegible]4/2010 पर दर्ज रजिस्टर हुई और बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 09.11.2011 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 को अपास्त किया गया और उपतहसीलदार जसोल को आदेश दिए गए कि [illegible]ग्रस्त भूमि खसरा संख्या 556 का रकबा 7–15 बीधा [illegible] व देवाराम पिसरान कानाराम जाति मेधवाल निवासी असाड़ा की खातेदारी [illegible] रखतें हुए शेष रकबा 68–05 बीधा ग्राम जसोल नियमानुसार राजकीय सिवाय चक भूमि दर्ज की जावें। माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में नामान्तकरण संख्या 3426 पारित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

गया,जिसमे मगरों वगैरा की भूमि का रकबा 76 बीघा के स्थान पर रकबा 7–15 बीघा व खसरा संख्या 355 का रकबा 798–09 बीघा के स्थान पर रकबा 866–14 बीघा दर्ज किया गया,जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में आदिनांक इन्द्राज यथावत चला आ रहा है। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर प्रार्थी रणजीत द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में द्वितिय अपील पेश की गई,जो अपील संख्या 8043/2011 पर दर्ज रजिस्टर हुई और बाद सुनवाई अपील अपीलाण्ट रणजीत की स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 18.4.2017 के द्वारा अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 09.11.2011 पुष्टी योग्य नहीं से निरस्त किया गया और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 की पुष्टि की गई अर्थात अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 को यथावत रखा गया। उक्त निर्णय के विरूद्व विप्रार्थी द्वारा कोई अपील पेश की गई अथवा नही के संबध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए और न ही अपने जवाब में विवादित भूमि के संबध में किसी अन्य न्यायालय में वाद विचारण होने का उल्लेख किया है। इस प्रकार यह तो भली भांति स्पष्ट है,कि न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा बहाल रखा है अर्थात निर्णय व डिक्री की पुष्टि की गई है और उक्त निर्णयनुसार ही राजस्व रेकर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल की जानी है,जो नामान्तकरण संख्या 2900 के अनुसार हुई थी। लेकिन विप्रार्थी द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं किए जाने पर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय पारित करने के बाद रेकर्ड में पूर्व की स्थिति बहाल करने के [illegible] पेश किया था,जैसा बहस में जाहिर किया,लेकिन तहसीलदार पचपदरा द्वारा [illegible] विधिक कार्यवाही नहीं किए जाने पर प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट संख्या 17245/2018 प्रस्तुत की,रिट याचिका बाद सुनवाई निम्न प्रकार के निर्देश के साथ दिनांक 18.2.2019 के निर्णय पारित किया कि This court is of considered

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

view the prayer made by the petitioner will have to be considered and examined by moving an appropriate application under section 144 cpc before the concerned court below i.e. s d o balotra .accordingly the petitioner would be at liberty to move appropriate application and this writ petition held to be not maintainable.if any such application is moved before the sdo balotra.the sdo balotra shall positively decide the same in accordance with law within a period of three months the date of submission of such application.

6. माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेशानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर विधि में निहित प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र को तीन माह के भीतर विधिनुसार निस्तारण किए जाने के निर्देश प्रदान किए। माननीय न्यायालय के निर्देश को मद्वदेनजर रखतें हुए तय समयसीमा के भीतर ही प्रार्थना पत्र का विधि में निहित प्रावधनों के तहत निस्तारण किया जा रहा है। जिसमें प्रार्थी अपना प्रार्थना पत्र स्वीकार करवानें में सफल रहा है,क्योकि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.4.2017 के द्वारा आर.ए.ए. न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.11.2011 को अपास्त कर दिया गया है और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 को बहाल रखा गया है। इस प्रकार जब माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 09.11.2011 को अपास्त कर दिया गया है,तो उक्त निर्णय के आधार पर भरा गया नाम[illegible] 3426 [illegible] में शून्य व निष्प्रभावी हो गया है और उक्त नाम[illegible] से भरा नामान्तकरण संख्या 2900 की पूर्व स्थिति बहाल की जानी न्यायोचित प्र[illegible]ती है। विप्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया,जिससे साबित होता हो कि नामान्तकरण संख्या 3426 से पूर्व की स्थिति क्यों नहीं बहाल की जावें। जबकि विप्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

को कानून के तहत जब माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्णय पारित कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 की पुष्टि की गई अर्थात उक्त निर्णय को यथावत रखा गया और माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर के निर्णय को अपास्त कर दिया गया था,के आधार पर नामान्तकरण संख्या 3426 से पूर्व की स्थिति को राजस्व रेकर्ड में बहाल की जानी चाहिए थी। लेकिन विप्रार्थी द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया। जिसके कारण प्रार्थी आदिनांक न्याय के लिए भटक रहा है,जबकि प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि जरिये पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 08.3.2010 के द्वारा खरीद की गई और उक्त खरीद के समय रेकर्ड में 76 बीधा भूमि का इन्द्राज था और पंजीकृत बेचाननामा के अनुसार ही रेकर्ड में अमलदरामद किया जाना चाहिए था,लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

7. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 18.4.2017 के द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (बाड़मेर जैसलमेर) मुख्यालय जोधपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 09.11.2011 को अपास्त किए जाने व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30.10.2009 की पुष्टि किए जाने के कारण ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 556 की खतौनी में नामान्तकरण संख्या 2900 के जरियें दर्ज प्रविष्टियों को पुर्नस्थापित किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार [illegible]कर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिशिचित [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.07.16 21:32:55 IST
Reason: SelfAttested

(वि[illegible]यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ) बालोतरा

आदेश आज दिनांक 28/6/2023 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा